कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक – 110 /23LA **दिनांक –** 13/01/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय :– **जनपद चमाली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81है॰ वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ :– इस कार्यालस का पत्रांक 3202/23 एल०ए० दि० 17.10.2023।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्य हेतु गठित वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्र संख्या 08बी0/यू0सी0पी0/06/71/2021/एफ0सी0/1271 दिनांक 23.12.2022 में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन इस कार्यालय के पत्रांक 3202/23 एल.ए. दि० 17.10.2023 द्वारा पूर्व में किया गया है। सुलभ सन्दर्भ हेतु कृपया पुनः बिन्दुवार अनुपालन आख्या गठित कर प्रेषित की जा रही है –

बिन्दु सं0	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में स्वीकृत वन भूमि में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नही किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सोंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरणः (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्त अभिकरण की लागत पर 3.62 है॰ अवनत भूमि दशोली प्रथम क0सं0 3 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यवहारिक हों स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों की एकल प्लांटटेशन से बंचे।	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु वन विभाग द्वारा आंकलित रू॰ 1476931.00(चौदह लाख छयत्तर हजार नौ सौ इक्कतीस) मात्र की धनराशि आर0टी0जी0एस0एस0बी0आई0 522023062056301532 दिनांक 20.06.2023 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.81 है॰ वन भूमि के एवज में दुगने क्षेत्रफल में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आरक्षित दशोली प्रथम क0सं0 3 पर 3.620 है॰ वनभूमि प्रस्तावित है। चालान की प्रति सलंग्न है। सलंग्न 1 नं॰।

	(ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है। के0एम0एल0एम0पी0 क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिए के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया जायेगा। (ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेंत्र की के0एम0एल0एम0 फाईल, सीए0 क्षेत्र, प्रस्तावित सी0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित केच मेन्ट एरिया, ट्रीटमेन्ट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिए कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	(ख) उक्त सूचना वन विभाग के स्तर से सलंग्न की जानी है। (ग) शर्त मान्य है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि, आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तंभन की लागत परयोजना प्राधिकारण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	उपरोक्त बिन्दु सं० 3(क) के अनुसार।
5	शुद्व वर्तमान मूल्यः (क) इस सम्बन्ध में भारत सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008 एवं 24.08.2008, एवं 9.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 030.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.81 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त	(क) शर्त संख्या 05 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ॰सी॰ दिनांक 02.05.2022 तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य 1819340.00 (अठारह लाख उन्नीस हजार तीन सौ चालीस) की धनराशि आर0टी0जी0एस0बी0आई0एन0–5202306205 62056301532 दिनांक 20.06.2023 वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। (ख) शर्त मान्य है, शपथ पत्र सलंग्न है, नं (02)

	राशि यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेंड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले पेंड़ों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 170 वृक्षों एवं 62 saplings से अधिक नही होगी एवं पेड़ों राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	शर्त मान्य है।
7	गाईडलाईन्स में दिए गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्राराम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई गतिविधि नहीं की जायगी।	शर्त मान्य है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https//parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतति/जमा किए जाएगें।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन ई–पोर्टल के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। (सलंग्न 3 नं॰)
9	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम सें सुनिश्चित किया जाएगा।	उपरोक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है (4–11) ।
10	नवीनतम वन(सरंक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी धनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्क वृक्षारोपण (mature planttion) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होनी चाहिए।	शर्त मान्य है।
11	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृति प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	शर्त मान्य है।

12	नोडल अधिकारी State CAMPA यह सुनिश्चित करें, कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायंगें।	उक्त बिन्दु में वन विभाग द्वारा कार्यवाही की जानी है।
13	पर्यावरण (सरंक्षण)अधिनियम 1896 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा।	शर्त मान्य है। (सलंग्न 11से 12)
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	शर्त मान्य है। (सलंग्न 12–13 है)
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनों स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा श्रमिकों हेतु वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईधन की व्यवस्था की जायेगी। (सलंग्न 13–14 है)
17	संबन्धित वन मडंल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अकिंत हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तिति वन भूमि सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। (सलंग्न 14–15 है)
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अदंर कोई अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण में ही किया जायेगा। (सलंग्न 15–16 है)
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य परियोंजन हेतु नही किया जायेगा। (सलंग्न 16–17 है)
20	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थितियों में किसी भी अन्य एजेंन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जायेगी। (सलंग्न 17–18 है)
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होंगी।	शर्त मान्य है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नही किया जायेगा। (सलंग्न 18–19 है)

22	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्त लागू होगी।	शर्त मान्य है।
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वादृष्टि स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह आनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पर्नुजीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जाएगां मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	शर्त मान्य है, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना हेतु चिहिन्त स्थलों पर मक डिस्पोजल किया जायेगा। (सलंग्न 19–20 है)
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	शर्त मान्य है।
25	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https//parivesh-nic-in) पर अपलोड की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https//parivesh-nic-in) पर अपलोड की जायेगी।(सलंग्न 20–21 है)

अतः अनुरोध हे कि कृपया प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रत्तर कार्यवाही कर इस कार्यालय को भी सूचित करने का कष्ट करें।
सलंग्न– अनुपालन आख्या चार प्रतियों में ।

13.01.2025
अधिशासी अभियन्ता
प्रां.खं. लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता, लो०नि०वि०, ज्योर्तिमठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि– खण्डीय अमीन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रां.खं. लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/71/2021/एफ.सी./127।   दिनांकः 23/12/2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– **जनपद– चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पातालगंगा से गणाई–मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/Road/45735/2020)**

सन्दर्भः– प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–677/x-3-21/1(69)/2021 दिनांक 23.06.2021

महोदय,

उपरोक्त विषय पर प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना वन संरक्षक, कार्यालय– अपर प्रमुख वन संरक्षक (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 06.12.2022 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार–**जनपद– चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पातालगंगा से गणाई–मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन** किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**
   क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.62 हे0 अवनत वन भूमि दशोली प्रथम क0 सं0 3 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। ~~जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी~~ प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें।
   ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
   ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाइल, सी0ए क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया, ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिए कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

1/3 contd..

ii. शुद्ध वर्तमान मूल्य

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.81 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 170 trees and 62 saplings वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

7. गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश मे उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।

8. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।

9. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

10. **नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।**

11. **वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेगें।**

12. **नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें।**

13. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।

14. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

15. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

17. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।

18. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

19. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

20. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि
गोपेश्वर

2/3 contd..

21. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
22. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
23. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
24. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
25. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

Gnarwane 23.12.2022
(गजेंद्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(गजेंद्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

कार्यालय

पत्रांक 2288/23 एल० एफ०   दिनांक 15/07/2023

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता प्रान्तीय लो० नि० वि० गोपेश्वर (मु० जो०) को इस आशय के साथ प्रेषित कि निर्माणाधीन मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में बिन्दुवार अनुपालन आख्या तैयार कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें,

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता/ कनिष्ठ अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

अ० अ०
13/07/2023

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि
गोपेश्वर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122

E Mail :- eepdgpr1@.gmail.com

पत्रांक 273 /23 एल0ए0

दिनांक 04/02/2023

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड
देहरादून।

विषय-- जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पातालगंगा से गणाई–मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग के प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पंत्राक 8 बी0/यू0सी0पी0/06/71/2021/एफ.सी./1271 दिनांक 23.12.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में अवगत कराना है भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर के पंत्राक 3151/12–1 गोपेश्वर दिनांक 28.12.2022 के क्रम में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण/एन0पी0वी0 की धनराशि का मांग इस कार्यालय को प्रेषित किया गया हैं जिसके क्रम में क्षतिपूर्ति एन0पी0वी0 की धनराशि की भुगतान हेतु मागं पत्र प्रेषित किया जा रहा है।

क्रम सं०	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु मांग	एन0पी0वी0 हेतु मांग	कुल
1	1476931.00	1819430.00	3296361.00

सलंग्नः– मांग पत्र/ऑनलाईन चालान की छाया प्रति।

o/c

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
गोपेश्वर।

पत्रांक 273 /23 L0 दिनांकित्

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता 7 वां वृत्त लो0नि0वि0 गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

पप्रतिलिपिः– सहायक अभियन्ता (मुख्यालय) लो0नि0वि0 गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि
गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
गोपेश्वर।

गोपेश्वर 03291
GOPESHWAR
AGENCY COPY
Phone : 01372-252172

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 20-06-2023

Agency Name.	**PUBLIC WORK DEPARTMENT**
Application No.	**6145735805**
MoEF/SG File No.	**8B/UCP/06/71/2021/FC**
Location.	**UTTARANCHAL**
Address.	**PROVINCIAL DIVISIONChamoli**
Amount(in Rs)	**3296361/-**

Amount in Words :Thirty-Two Lakh Ninety-Six Thousand Three Hundred and Sixty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	**UTTARANCHAL CAMPA**
IFSC Code:	**UBIN0996335**
Pay to Account No.	**150896145735805** **Valid only for this challan amount.**
Bank Name & Address:	**Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027**

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

Note:After making the required payment through ch even after 7 working days, then kindly mail a copy o id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse ubin0903710@unionbankofindia.bank

SBINR52023062056301532

Executive Engineer
Provincial Division P.W.D
Gopeshwar

भारतीय स्टेट बैंक, गोपेश्वर 03291
पी० एफ० नं०-1031569
20 JUN 2023
Monika Joshi
बेकर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि
गोपेश्वर

भारतीय स्टेट बैंक, गोपेश्वर
पी० एफ० नं०-64
20 JUN 2023
Somya N
बेकर

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।
E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांकः 510 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, जुलाई 29 /2022

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।

विषयः– **जनपद चमोली में पाताल गंगा से गणाई मोल्टा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.81 है0 वन भूमि के सापेक्ष 3.62 है0 अवनत वन भूमि चयनित करने के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण देहरादून की पत्र सं0 13/12–1 दिनांक 13.04.2022 एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की कार्यवृत्त सं0–BRO-DDN-FRCM/01/2022/474 दिनांक 01.07.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा विषयांकित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 3.62 है0 अवनत वन भूमि चयनित किये जाने हेतु लिखा गया, के क्रम में इस वन प्रभाग में चमोली रेंज के अन्तर्गत दशोली । क0न0 3 में 3.62 है0 भूमि वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है, जिसकी के0एम0एल0 फाईल ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।

अतः आप उक्त स्थल के डिजिटल एवं जियोरिफेन्स मैप मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0सैल उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय से तैयार कर चार प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner

डिजिटल मैप :–जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में पातालगंगा से गणाई तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु दशोली कम्पार्टमेंट नं0 3 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (कुल क्षेत्रफल 3.62 है0)

N

0 0.25 0.5 1 1.5 2 Km

Scale-1:50,000

SOI Toposheet No.: 53 N/11

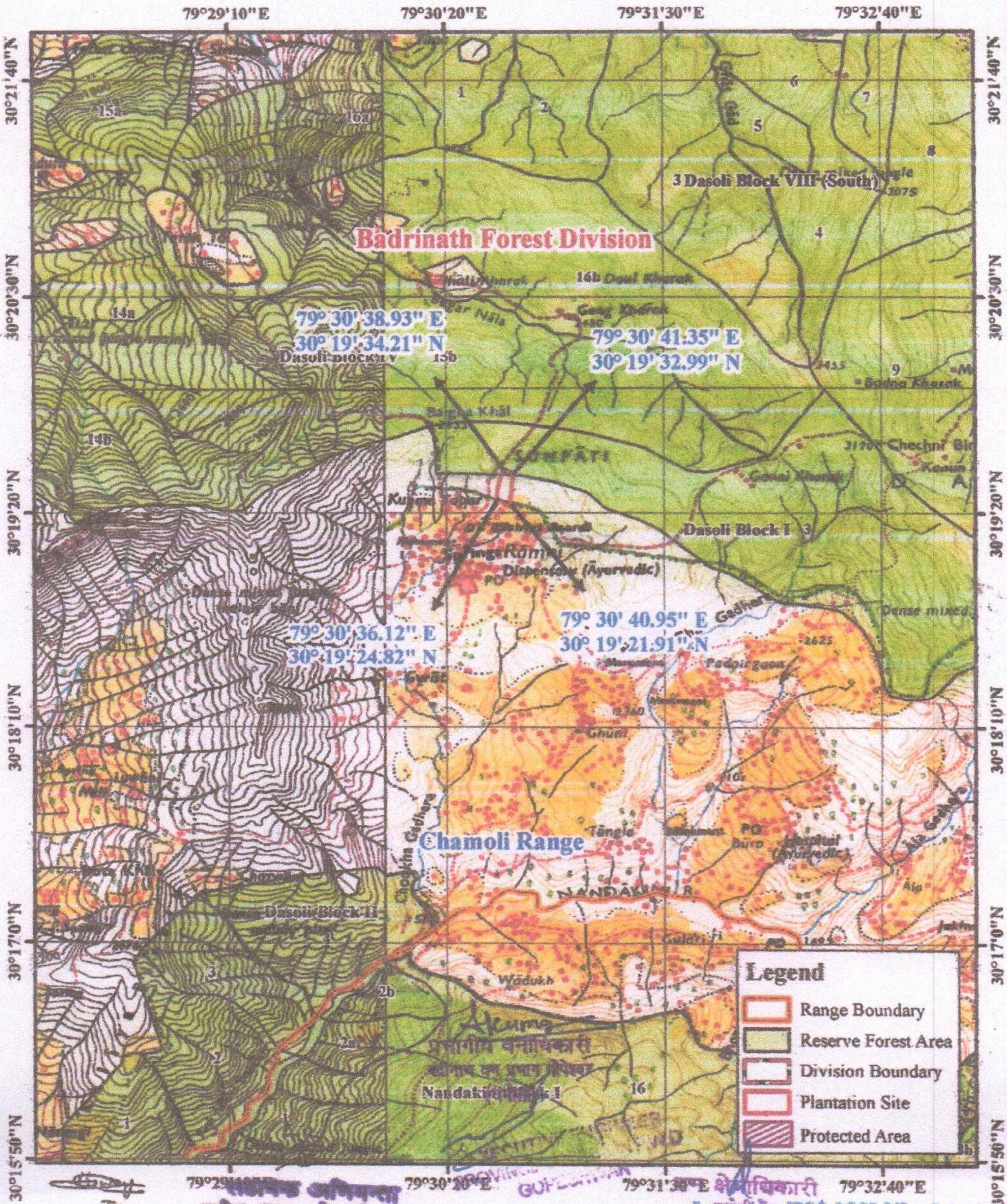

JE

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

योरेफेरेन्स मैप :—जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में पातालगंगा से गणाई तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु दशोली कम्पार्टमेंट नं0 3 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (कुल क्षेत्रफल 3.62 है0)

0 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 Km

Scale-1:5,000

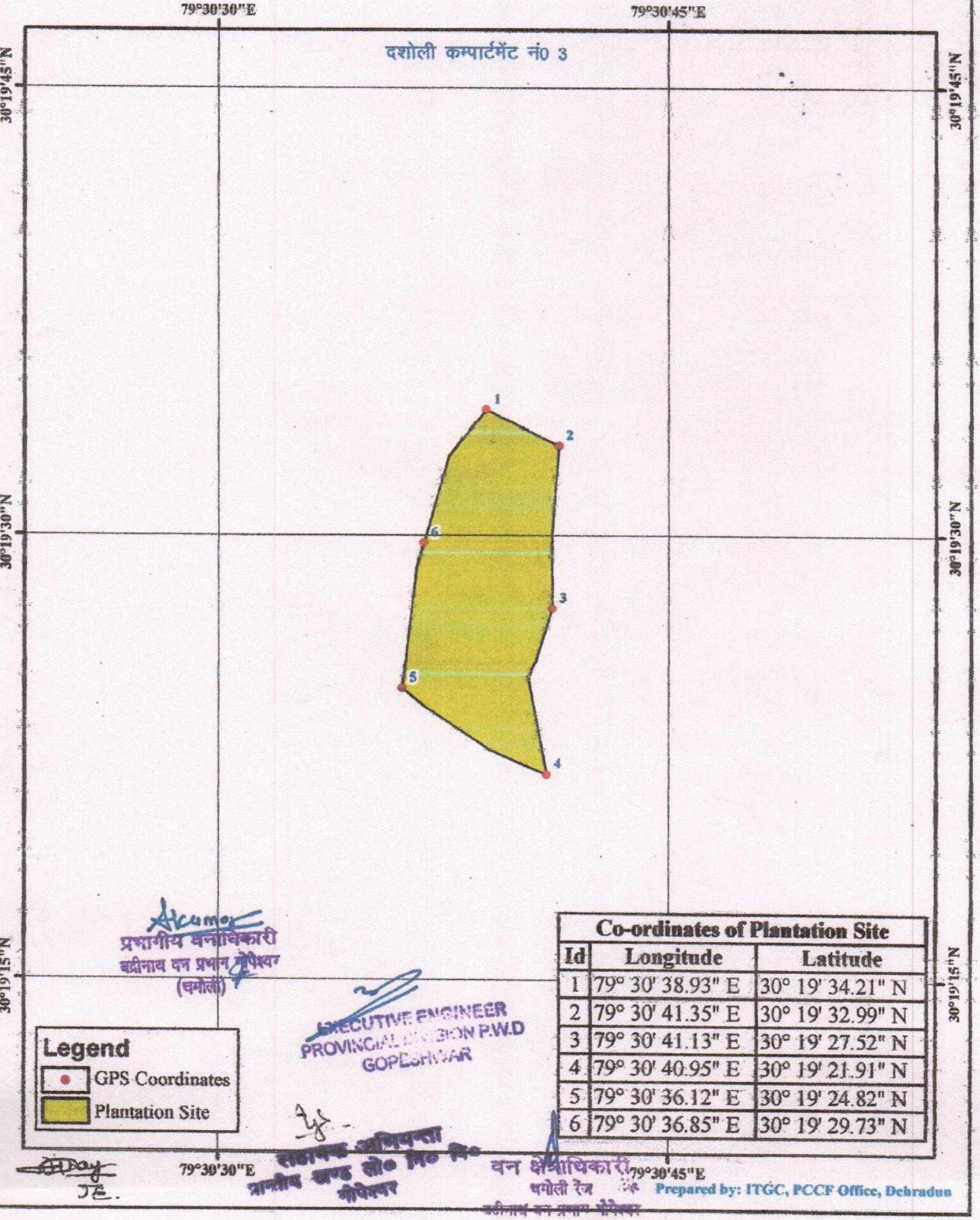

Co-ordinates of Plantation Site		
Id	Longitude	Latitude
1	79° 30' 38.93" E	30° 19' 34.21" N
2	79° 30' 41.35" E	30° 19' 32.99" N
3	79° 30' 41.13" E	30° 19' 27.52" N
4	79° 30' 40.95" E	30° 19' 21.91" N
5	79° 30' 36.12" E	30° 19' 24.82" N
6	79° 30' 36.85" E	30° 19' 29.73" N

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D
GOPESHWAR

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
चमोली रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

JE.

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

2

प्रमाण पत्र

विषयः– जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.810 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन॰पी॰वी॰ धनराशि में बढ़ोतरी होने पर अतिरिक्त धनराशि विभाग के पक्ष में जमा की जायेगी।

अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

प्रमाण पत्र

यः– जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.810 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि, प्रयोक्ता अभिकरण उक्त धनराशि ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है।

अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)
Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No-----

Dated-15/5/2020

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.810 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of *PWD Gopeshwar* for *Construction of Patalganga to Ganai-Molta Motor Road* in Chamoli district falls within jurisdiction of Darhami, Nauligwad and Ganai villages in Joshimath tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.810 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulátions and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

जिला अधिकारी
Signature
चमोली
(Full name and official seal of the District Collector)

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि
गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

प्रारुप–30.1

(5)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mrs. Swati S. Bhadoria** I.A.S deputy commissioner **Chamoli** on dated 15-5-2020 at time .15.00..at 1.15...... in which application claiming rights in ………….. area measuring **1.810 hect** for the ***Construction of Patalganga to Ganai-Molta Motor Road*** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Joshimath** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Gopeshwar

Dated: 15/5/2020

जिलाधिकारी
Deputy Commissioner-cum-Chairman
चमोली
District Level Committe

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि
गोपेश्वर

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम–:जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में पातालगंगा से गणाई मोल्टा तक 10 किमी. मार्ग एवं किमी. 5 पर दो (40 मी. तथा 30 मी.) एवं किमी. 8 पर दो (25 मी. एवं 20 मी.) स्पान मोटर सेतु निर्माण हेतु 1.810 हे. वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 4.900 किमी.।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम –गणाई , तहसील– जोशीमठ, जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत जोशीमठ परिक्षेत्र के *पातालगंगा से गणाई मोल्टा तक 10 किमी. मार्ग एवं किमी. 5 पर दो (40 मी. तथा 30 मी.) एवं किमी. 8 पर दो (25 मी. एवं 20 मी.) स्पान मोटर सेतु निर्माण* हेतु 1.810 हे. वन भूमि (सिविल सोयम 1.810 हे. वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **गणाई** द्वारा दिनांक 08/12/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **गणाई** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि *लोक निर्माण विभाग* को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र गणाई
विकास खण्ड – जोशीमठ

सदस्य
क्षे० पं०-गणाई-मोल्टा-पगनो
विकास खण्ड -जोशीमठ

पुष्पादेवी

हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत गणाई
वि० ख० जोशीमठ चमोली

सरपंच वन पंचायत गणाई
वि० ख० जोशीमठ, चमोली

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि
गोपेश्वर

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :–जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में पातालगंगा से गणाई मोल्टा तक 10 किमी॰ मार्ग एवं किमी॰ 5 पर दो (40 मी॰ तथा 30 मी॰) एवं किमी॰ 8 पर दो (25 मी॰ एवं 20 मी॰) स्पान मोटर सेतु निर्माण हेतु 1.810 हे॰ वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 4.900 किमी॰।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, जोशीमठ
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रभाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, जोशीमठ

उपखण्ड जोशीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत *पातालगंगा से गणाई मोल्टा तक 10 किमी॰ मार्ग एवं किमी॰ 5 पर दो (40 मी॰ तथा 30 मी॰) एवं किमी॰ 8 पर दो (25 मी॰ एवं 20 मी॰) स्पान मोटर सेतु* निर्माण हेतु 1.810 हे0 वन भूमि (सिविल सोयम वन भूमि 1.810 हे॰) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील– जोशीमठ) की दिनांक ---01-03-2019--- को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री किशन सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री योगेन्द्र सिंह उपजिलाधिकारी -------- ---------------अध्यक्ष
2– श्री अमरेश कुमार ----------उप प्रभागीय वनाधिकारी-------------------सदस्य
3– श्री खजान सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी---------------सदस्य/सचिव
4– श्री दलवीर सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र-------------------------------सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि *पातालगंगा से गणाई मोल्टा तक 10 किमी॰ मार्ग एवं किमी॰ 5 पर दो (40 मी॰ तथा 30 मी॰) एवं किमी॰ 8 पर दो (25 मी॰ एवं 20 मी॰) स्पान मोटर सेतु निर्माण* परियोजना हेतु 1.810 हे॰ वन भूमि *लोक निर्माण विभाग* के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, -------------------द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड जोशीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत *पातालगंगा से गणाई मोल्टा तक 10 किमी॰ मार्ग एवं किमी॰ 5 पर दो (40 मी॰ तथा 30 मी॰) एवं किमी॰ 8 पर दो (25 मी॰ एवं 20 मी॰) स्पान मोटर सेतु* परियोजना के निर्माण हेतु 1.810 हे॰ वन भूमि *लोक निर्माण विभाग* को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील जोशीमठ
जनपद चमोली।
(उप जिलाधिकारी जोशीमठ)

उप प्रभागीय वनाधिकारी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	बी0डी0सी0
सदस्य	सदस्य/सचिव	सदस्य

(उप प्रभागीय वनाधिकारी)
(सदस्य ग्राम गणाई-मोल्टा-पगनो)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी महोदय चमोली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील जोशीमठ
जनपद चमोली।
(उप जिलाधिकारी जोशीमठ)

प्रपत्र

दिनांक 08/12/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत का नामः– गणाई ।

क्र0सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जगदीश प्रसाद सती	Sdr
2	चन्द्र बहादुर पंवार	चन्द्रबहादुर
3	इन्द्रीलाल	इन्द्रीलाल
4	राजेन्द्र नौटियाल	[signature]
5	आशीष भण्डारी	Ashish
6	Sandeep HARSWAN	Sandeep
7	गोपाललाल	गोपाललाल
8	प्रमोद सिंह	प्रमोद सिंह
9	भूपेन्द्र सिंह	Bhupendra S
10	रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह
11	कुन्दनसिंह फरस्वाण	कुन्दनसिंह
12	कुलदीप सिंह	[signature]
13	विनोद भण्डारी	[illegible]
14	उर्वी दत्त सती	[illegible]
15	राजेन्द्रसिंह पंवार	राजेन्द्र
16	रघुनाथसिंह पंवार	[signature]
17	कन्हैया सती	[signature]
18	प्रेमवल्लभ सती	[signature]
19	भगतसिंह	[signature]
20	शंकर सिंह	[signature]
21	मुनीषचन्द्र	[signature]
22	बद्री प्रसाद	बद्री प्रसाद
23	नरेन्द्रसिंह	नरेन्द्रसिंह
	केदारसिंह	केदारसिंह

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि
गोपेश्वर

सदस्य गणाई
क्षेत्र पं.-गणाई-मोल्टा-पगनो
विकास खण्ड-जोशीमठ

प्रधान ग्राम पंचायत गणाई
वि० ख० जोशीमठ

सरपंच वन पंचायत गणाई
जोशीमठ, च०

(9)
(8)

प्रपत्र – 23.1

दिनांक 08/12/18 को ग्रामसभा गणाई की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :–

कम सं॰	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री कुन्दनसिंह फरस्वाण	कुन्दनसिंह
2	" भगतसिंह नेगी उपप्रधान गणाई	[signature]
3	" बिजेन्द्रसिंह नेगी	[signature]
4	" कुलदीपसिंह नेगी	[signature]
5	" कल्पेश्वर प्रसाद भजियाडी	[signature]
6	" दिनेशचन्द्र भजियाडी	दिनेशचन्द्र
7	" जयदीपसिंह रावत	[signature]
8	" मोहनसिंह	मोहनसिंह
9	" मुरलीसिंह	मुरली सिंह
10	विक्रमसिंह रावत	[signature]
11	मुनीषचन्द्र	[signature]
12	सोबनसिंह	सोबन सिंह
13	आशीष	[signature]
14	राजेन्द्र रावत	[signature]
15	लक्ष्मी प्रसाद	Laxmi Prasad
16	रमेश चंद्र भजियाडी	रमेश चन्द्र

DM FRA Letter

सदस्य [signature]
ग्रा॰ पं॰-गणाई-मोल्टा-पगनौ
विकास खण्ड -जोशीमठ

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि
गोपेश्वर

प्रधान ग्राम पंचायत ... वि॰ ख॰ जोशीमठ चमोली

गोपेश्वर

प्रपत्र – 23.1

दिनांक 08/12/18 को ग्रामसभा [illegible] की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :–

कम सं॰	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
17	श्री प्रताप सिंह	प्रताप सिंह
18	श्री [illegible] सिंह	[illegible]
19	श्री [illegible] सिंह	[illegible]
20	श्री भरत सिंह	भरतसिंह
21	श्री [illegible] सिंह	[illegible]
22	श्री रघुवीर सिंह	रघुवीरसिंह
23	श्री [illegible] सिंह	[illegible]
24	श्री, जगत सिंह	जगत सिंह
25	नरेन्द्र सिंह	[illegible]
26	धीरज पाण्डे	[illegible]
27	सुखदेव सिंह	[illegible]
28	भगवती प्रसाद	भगवती [illegible]
29	दौलत सिंह	[illegible]
30	संगीता देवी	संगीता देवी
31	अवतार सिंह	Avtar singh
32	गजेन्द्र सिंह	[illegible]

DM FRA Letter

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

सदस्य [illegible]
क्षे० पं०-[illegible]
विकास खण्ड -जोशीमठ

प्रधान ग्राम पंचायत [illegible]

प्रपत्र – 23.1

दिनांक 08/12/18 को ग्रामसभा गणाई की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :–

कम सं॰	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
33	प्रेम सिंह	[signature]
34	दरमान सिंह	[signature]
35	तारेन्द्र प्रसाद	तारेन्द्र
36	दिलवर सिंह	[signature]
37	नीरज सिंह	Niraj
38	जयानन्द मजियाठी	जयानन्द
39	भरत सिंह	भरत सिंह
40	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
41	प्रभात सिंह पंवार	[signature]
42	विमला देवी	विमला देवी
43	अवतार सिंह	अवतार सिंह
44	दिवाकर प्रसाद	दिवाकर
45	बद्री प्रसाद	बद्री प्रसाद
46	बंशीधर मजियाठी	बंशीधर मजियाठी
47	सीता देवी	सीता देवी
48	शंकर सिंह	Sankar Singh

DM FRA Letter

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि
गोपेश्वर

सदस्य
ग्रा॰ पं॰-गणाई-मोरवी-पगनो
विकास खण्ड -जोशीमठ

प्रधान ग्राम पंचायत
गोपेश्वर

प्रमाण पत्र

विषयः– जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

प्रमाण पत्र

विषयः– जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई–मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि, प्रयोक्ता अभिकरण वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड़ लो०नि०वि०
गोपेश्वर

प्रमाण पत्र

विषयः– जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई–मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.810 हे॰ वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को वन विकास निगम से अथवा वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराया जायेगा।

अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

प्रमाण पत्र

विषयः– जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई–मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि, वन भूमि सीमा को परियोजना लागत आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा।

अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

प्रमाण पत्र

विषयः– जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई–मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि कार्य के निस्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग निर्माण नहीं किया जायेगा।

अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

प्रमाण पत्र

विषयः— जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई—मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि, परियोजना के प्रस्ताव में विनिदृष्टि प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा।

अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर
9/10/23

प्रमाण पत्र

विषयः– जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पातालगंगा से गणाई–मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि, केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्ततन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेन्सी विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

प्रमाण पत्र

विषयः– जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई–मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 हे॰ वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन नही किया जायेगा

अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड़ लो०नि०वि०
गोपेश्वर

प्रमाण पत्र

विषयः— जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई—मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 हे॰ वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व विद्विष्ट स्थलों पर ही मलवा निस्तारण किया जायेगा।

अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड़ लो०नि०वि०
गोपेश्वर

प्रमाण पत्र

विषयः– जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई–मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 हे॰ वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि, अनुपालन आख्या ई–पोर्टल **(https://parivesh.nic/in/)** पर अपलोड की जायेगी।

अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो॰नि॰वि॰
गोपेश्वर